न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **299/2021** दायर दिनाँक **26.10.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. हरिकिशन पुत्र आसाराम जाति महाजन निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. रामेश्वर पुत्र स्व0 आशाराम 2. रामप्रसाद पुत्र स्व0 आशाराम 3. गोरधन पुत्र स्व0 आशाराम 4. बजरंगलाल पुत्र स्व0 खींवराज 5. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री प्रितमसिंह वकील वादी।
2. श्री जयप्रकाश वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की और से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **07.12.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि सरहद आगूंता पटवार हल्का आगूंता भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित खेत खसरा सं0 281 रकबा 0.0100 गै.मु.चाह, खसरा सं0 282 रकबा 11.1300 हैक्टेयर कुल रकबा 11.1400 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की खातेदारी में दर्ज है। जो कि गलत रूप से दर्ज है। नकल वर्तमान खतौनी की वाद–पत्र के साथ में पेश है।

यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 व प्रतिवी संख्या 04 के पिता आपस में सगे भाई है। जो कि स्व. आशाराम की जायन्दा संताने है। उपरोक्त खसरान की कुल रकबा 11.400 हैक्टेयर भूमि स्व. आशाराम से सम्बन्धित पक्षकारान का पैतृक खेत है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 तक तथा प्रतिवादी संख्या 04 प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा, अधिकार व संयुक्त रूप से कब्जा मौजुद है।

यह है कि बिनाय दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाके सरहद आगूंता, पटवार हल्का आगूंता, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित खेत खसरा नम्बर 281 रकबा 0.0100 गै.मु.चाह, खेत खसरा सं0 282 रकबा 11.1400 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 तक का पैतृक होने से तथा स्व. आसाराम के स्वर्गवास के पश्चात खातेदारी में अकेले प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से दर्ज हो जाने से तथा इस बात की सदभावी जानकारी वादी को हाल के समय में होने से वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से सम्पर्क किया और खातेदारी में नाम दर्ज करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के द्वारा मना कर देने से व वादी को बेदखल [illegible] उक्त भूमि को बेचाण की धमकी देने से निरन्तर वाद कारण अदालत [illegible] अधीन उत्पन्न हो रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 10:58:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है –

यह है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाके सहरद आगूंता पटवार हल्का आगूंता, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित खेत खसरा सं0 281 रकबा 0.0100 गै.मु.चाह, खसरा सं0 282 रकबा 11.1300 हैक्टेयर कुल रकबा 11.1400 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी के साथ–साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/5 हक हिस्सा व अधिकार की खातेदारी दर्ज फरमाया जाने की घोषणा की जाकर तदनुसार रेकर्ड दुरूस्ती सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद में पेश राजीनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 रामेश्वर, 02 रामप्रसाद, 03 गोरधन, 04 बजरंगलाल की ओर से राजीनामा पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकुलाय पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान् खातेदारी चाहते हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ग्राम आगूंता के खसरा सं0 281, खसरा सं0 282 की भूमि का राजीनामा अनुसार खसरा सं0 281 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै0मु0 चाह, खसरा सं0 282 रकबा 11.1300 हैक्टेयर, कुल रकबा 11.1400 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी के साथ–साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/5 की खातेदारी घोषित कर वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **07.12.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 10:58:58 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 299/2021 दायर दिनाँक 26.10.2021

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. हरिकिशन पुत्र आसाराम जाति महाजन निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. रामेश्वर पुत्र स्व0 आशाराम 2. रामप्रसाद पुत्र स्व0 आशाराम 3. गोरधन पुत्र स्व0 आशाराम 4. बजरंगलाल पुत्र स्व0 खींवराज 5. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 07.12.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री प्रितमसिंह वकील वादी व श्री जयप्रकाश वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ग्राम आगुता के खसरा सं0 281, खसरा सं0 282 की भूमि का राजीनामा अनुसार खसरा सं0 281 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै0मु0 चाह, खसरा सं0 282 रकबा 11.1300 हैक्टेयर, कुल रकबा 11.1400 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी के साथ–साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/5 की खातेदारी घोषित कर वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.12.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीक का चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 10:58:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner